

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व लाडवाड़ा

भू अभिलेख निरीक्षक

वैशाली

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार करेड़ा

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाडवाड़ा पटवार हल्का लाडवाड़ा तहसील करेड़ा
व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 273
में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के
आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
03	<u>लाडवाड़ा</u>	<u>273</u>	<u>नानु राम पुत्र लाल कुमावर</u>	<u>जानालाल पुत्र लाल कुमावर</u>

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 27/10/2021

क्रमांक/न्यायालय /2021 103

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री नानालाल पुत्र लाल कुमावर



उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा